

10.2.25

वकील सायलान उपखिला वकील
 सायलान ने दिनांक 3.3.2023 से गैर सायलान
 की ललरी हेतु शिफ्ट एपीक जोडिस पेश
 नहीं किया है। आज की समझ-बहा
 रहे। उनका यह कृत्य पुकरण के प्रति
 उनकी उदासीनता का दृशाति है। जिसे
 की पुकरण में विधिक अर्थवादी की
 पूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व बादी/सायलान
 का होता है। हाजा पुकरण में सायलान
 द्वारा न्यायालय के आदेशों की पूर्ति
 नहीं की है। आज, सिविल प्रक्रिया
 संहिता के आदेश 3 नियम 5 के प्रावधानों
 के अंतर्गत प्रायः 212 रम अदम वकील
 नॉट कमलायंस के स्वयिक किया जाता
 है। दिनांक 3.3.2023 को जारी
 अंतरिम आस्था निवेद्याता अवात की
 जारी है। पुरावों फेस लशुमा होकर
 काविल दातर है।

अपने कलक्टर सुभाष
 बोलपुर (पार्षद)